

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

बुधवार, 9 सितम्बर, 2020/18 भाद्रपद, 1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव:-

दिनांक 7 व 8 सितम्बर, 2020 को नियम-67 के अन्तर्गत हुई चर्चा का माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर देंगे ।

2. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए | | |

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

- (1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 4); और
- (2) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 5) ।

4. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-1/2020 दिनांक 09.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2020 को प्रकाशित; और
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-2/2020 दिनांक 17.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2020 को प्रकाशित ।
- (2) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) डॉ० राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री, जे० पी० सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे०पी० सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (4) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, सहायक निदेशक कारखाना(रसायन/यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-2/2019(स्था.) दिनांक 13.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.07.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1966 की धारा 19(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम कल्याण अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-5/2019(स्था0) दिनांक 20.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2020 को प्रकाशित ।

(5) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.डी.एन.-ख-ख(16)-11/2019 दिनांक 08.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(6) श्री राकेश पठानिया, वन मन्त्री, कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमेंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

5. अध्यादेश:

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.04.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

- (2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.05.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।**
- (3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।**
- (4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।**
- (5) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।**

6. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
 - (i) समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17) (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या:3.12 व 3.13 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित;
 - (ii) समिति का **32वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है; और
 - (iii) समिति का **33वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है ।
- (2) **श्री बलबीर सिंह,सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति का **25वां मूल प्रतिवेदन** जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत "विधवा एकल नारी/परित्यक्ता/पेंशन योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, "हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना (HPRIDC)" बारे वक्तव्य देंगे ।

8. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को पारित हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को वापिस लिया जाये ।

9. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों आदि को विनियमित करने से सम्बन्धित विधियों का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(ii) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(iii) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(iv) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(v) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(vi) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(vii) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(viii) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

10. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) श्री रमेश चंद धवाला, प्रस्ताव करेंगे कि:

"रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यह सदन विचार करे।"

(2) श्री बलबीर सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में लोक मित्र केन्द्रों में हो रही धोखाधड़ी पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004
दिनांक: 08 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(नवम् सत्र)

बुधवार, 9 सितम्बर, 2020/ 18 भाद्रपद, 1942 (शक) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या

शुद्धियां

तारांकित प्रश्न

*2973

मुख्य मंत्री को स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्री पढ़ा जाए।

शिमला

दिनांक: 08.09.2020

यशपाल शर्मा,

सचिव।